

आदेश

तिथि

Feb 10
2023

आदेश पर की गई
कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा नीलकंठपुर थाना देवघर

खाता	प्लॉट	रकबा
62	24/10	0 एकड़, 3.64 डिसमील, 0 हेक्टर

का विक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री अवधेश सिंह उर्फ शंकर जी	पिता	स्व अमर सिंह

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 1106 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री अवधेश सिंह	पिता	अमर सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि महाशय आवेदित भूमि आवेदक निबंधित विक्रय पत्र संख्या 1106 दिनांक 20/10/2022 द्वारा क्रय कर हाता के रूप में दखलकार है अतः दखल एवं दलील के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया जा सकता है अतः राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन व अनुशंसा, निबंधित दलील एवं दखल के आधार पर नामान्तरण की स्वीकृति दी जाती है। यह आदेश पूर्णतः अपीलीय है। इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किया जा सकता है।

अतः वार्षिक लगान **50 रुपये**
स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
MOTI LAL HEMBROM
अंचलाधिकारी देवघर